

न्या० सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०, अनूपशहर, बुलन्दशहर।

जमानत :-110 सन 2026

सरकार.....बनाम.....दीपा आदि।

24.06.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शीलेंद्र के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 41 सन 2017, अन्तर्गत धारा 323, 324, 325 भा०द०सं० थाना रामघाट, जिला बुलन्दशहर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है। यह अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है।

अभियुक्त दिनांक-23.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

सुना तथा अवलोकन किया।

अभियुक्त के दिनांक 30.05.2024 से वारण्ट जारी है। अभियुक्त नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित न आने के कारण उसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा NBW जारी है। अभियुक्त को दिनांक 23.06.2026 को 309सी० आर० पी० सी० का वारण्ट बनाकर जिला कारागार भेजा गया। अभियुक्त दिनांक 23.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त का जमानत का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में दाखिल व्यक्तिगत बंधपत्र पर तथा इस आशय का अण्डरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा, के दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(रुचि भाटी)

सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम०,

अनूपशहर, बुलन्दशहर।

J.O.Code- UP3588